




न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 113 / 2019

तारीखरजू:- 23/9/19

उनवान:- उगन्ती बनाम ओमप्रकाश वगै०

दावा बावत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
23/9/19	<p>वादी की और से श्री छुट्टन लाल मीना एडवोकेट एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा धारा, 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 17.10.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p> <p style="text-align: right;">4716-30 23/9/19</p>
17-10-19	<p>वादी वकील द्वारा मिसल करने के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गई। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि पक्षकारण में राजीनामा हो गया है मुकदमा को खारिज कर दिया जावे। तथा वादी वकील ने Not Press का मुकदमा खारिज करने का कथन किया। अतः दावा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p> <p style="text-align: right;">Not press  Amcatrie</p>